जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, मुंगेर

ए.बी.ए. नंबर 212 / 2026 **1**

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, मुंगेर

ए.बी.ए. नंबर 212 / 2026

परिवाद पत्र संख्या 113 सी / 2025

राजेश कुमार बनाम बमबम कुमार यादव एवं अन्य।

06.03.2026 आवेदक **बमबम कुमार यादव** के तरफ से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन उनके विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वजीत कुमार शर्मा के द्वारा संचालित किया गया। **अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 2 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक द्वारा न तो इस न्यायालय में और न ही मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। अग्रिम जमानत आवेदन के पारा 3 में इस बात का प्रमाण पत्र दिया गया है कि आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।**

उभयपक्षों को सुना।

अभियोजन का कथन परिवादी राजेश कुमार के टंकित परिवाद–पत्र के आधार पर संक्षेप में यह है कि परिवादी रेलवे सुरक्षा बल में आरक्षी के पद पर वर्तमान में न्यू जलपाईगुड़ी में कार्यरत हैं। परिवादी आवेदक बमबम कुमार यादव के संपर्क में आए और सड़क के किनारे जमीन खदीने की इच्छा जाहिर की, जिसको कि आवेदक ने जमीन जो उनके माता–पिता के नाम से है, बेचने का प्रस्ताव दिया। इस पर परिवादी आवेदक के साथ उनके घर पर गए और आवेदक के माता–पिता राजेन्द्र यादव और सुधा देवी (अभियुक्त संख्या 01 और अभियुक्त संख्या 02) से मिले और उनके जमीन, जो खाता संख्या 74, खेसरा संख्या 1612, मौजा नौवागढ़ी, को खरीदने की बात 27,00,000 / –(सत्ताईस लाख रूपये) रूपया में तय हुआ, जिसके एवज में परिवादी ने संपूर्ण रकम देने के लिए समय की मॉग की और नगद तथा बैंक खाते के माध्यम से अभियुक्त संख्या 01 और अभियुक्त संख्या 02 को कुल मिलाकर 17,65,000 / – (सत्रह लाख पैंसठ हजार रूपये) रूपया भुगतान किया और एक जरबियानानामा तैयार हुआ। इसके बाद दिसम्बर माह में जब परिवादी अपने घर जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि उनके खरीदने वाली जमीन पर सड़क का काम चल रहा है और जब परिवादी ने पता किया, तो पता चला कि उक्त जमीन, जो परिवादी अभियुक्तों से खरीदने वाले थे, वह राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा वर्ष 2022 में ही अधिग्रहण कर लिया गया है और अभियुक्तगण सरकार से मुआवजा भी प्राप्त कर चुके हैं। तब, परिवादी ने उक्त बातों को जानने के बाद अभियुक्तों से मुलाकात की और अपना दिया रकम 17,65,000 / – (सत्रह लाख पैंसठ हजार रूपये) रूपया लौटाने को कहा। तब, अभियुक्तों ने दूसरी जगह जमीन देने की बात कही और परिवादी से लगातार टालमटोल करते रहे और अंत में दिनांक 24.01.2025 को जब परिवादी अभियुक्तों के घर जाकर अपना पैसा मॉगा, तो अभियुक्तों ने गाली–गलौज किया, धक्का–मुक्की किया और जान से मारने की बात कहकर परिवादी को भगा दिया। परिवादी के परिवाद–पत्र के आधार पर परिवाद–पत्र संख्या 113 / 2025 दर्ज हुआ।

लगातार

06.03.2026 आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तर्क दिए हैं कि आवेदक निर्दोष है और उसने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को परिवादी से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है। यह झूठा आरोप है कि परिवादी सबसे पहले आवेदक से मुलाकात की थी। अभियुक्त राजेन्द्र यादव ने इस मामले में संज्ञान लेने के आदेश के विरूद्ध पुनरीक्षण याचिका दायर की है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और मुंगेर के द्वितीय ए. डी. जे. की अदालत में सुनवाई के लिए लंबित है। परिवादी ने बी0 एन0 एस0 की धारा 115 (2)/126 (2)/316 (2)/316 (5)/319 (2)/318 (4)/338/336 (3)/352/3 (5) के तहत परिवाद दर्ज की, लेकिन श्री शक्तिमान भारती, न्यायाधीश, मुंगेर की मान्नीय अदालत ने धारा 420 आई. पी. सी. के तहत संज्ञान लिया है। विद्वान न्यायालय ने संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को कोई समन नहीं भेजा तथा धारा 223 बी. एन. एस. एस. के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया। आवेदक बंधपत्र देने को तैयार हैं। आवेदक धारा 482 बी. एन. एस. एस. की शर्तों और नियमों का पालन करेगा। आवेदक अपने पिता से अलग रहता है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की संलिप्तता का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः, आवेदक को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाय।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत का कड़ा विरोध किया गया। परिवादी की ओर से भी उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत का कड़ा विरोध किये।

मांगा गया विचारण न्यायालय अभिलेख प्राप्त हुआ। दोनों पक्षों को सुनने तथा अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि यह वाद परिवाद–पत्र पर संस्थित है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जॉच की कार्यवाही कर आवेदक सहित तीनों अभियुक्तों के विरूद्ध धारा 420 भा0 द0 वि0 के तहत प्रथम दृष्ट्या मामला पाया और उन्हें विचारण हेतु आहूत् किया गया। परिवाद–पत्र के अवलोकन से पाता हूॅ कि मुख्य रूप से यह आरोप है कि वे अपने जमीन बेचने के लिए परिवादी से 17,65,000/– (सत्रह लाख पैंसठ हजार रूपये) रूपया प्राप्त किये और वे जमीन बाद में राष्ट्रीय राजमार्ग के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया। इसके कारण अभियुक्तों ने परिवादी को जमीन नहीं रजिस्ट्री किया और जब परिवादी ने दिए पैसा वापस मॉगा, तो अभियुक्तों ने पैसा नहीं दिया। अभिलेख के अवलोकन से यह पाता हूॅ कि परिवाद–पत्र के अनुसार जो भी रकम का भुगतान परिवादी ने किया है, वह अभियुक्त राजेन्द्र यादव और सुधा देवी को किया है। इस आवेदक पर परिवादी से सीधे तौर पर कोई रकम प्राप्त करने का सीधा आरोप नहीं है। अभिलेख से यह भी पाता हूॅ कि इस वाद के अभियुक्त राजेन्द्र यादव और परिवादी के बीच दिनांक 24.09.2024 को एक एकरारनामा निष्पादित हुआ है, जिसमें कि राजेन्द्र यादव ने अपने और पत्नी के खाता में और नगद मिलाकर कुल 17,00,000/– (सत्रह लाख रूपये) रूपया प्राप्त करने की बात को स्वीकार किया है। लेकिन, इस एकरारनामा में आवेदक बमबम कुमार यादव न तो पक्षकार हैं और न ही साक्षी के रूप में अपना दस्तखत किए हैं। अभिलेख के अवलोकन से यह भी पाता हूॅ कि परिवादी की ओर से भी ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट हो कि परिवादी ने आवेदक बमबम कुमार यादव को कोई भी रकम

लगातार

06.03.2026 सीधे तौर पर प्रदान की है। संपूर्ण अभिलेख पर इस आवेदक पर सीधे तौर पर परिवादी से पैसा लेने की स्पष्ट आरोप नहीं है। यह वाद परिवाद–पत्र से संस्थित है। आरोपित धाराऍं मजिस्ट्रेटियल विचारणीय है। आवेदक विचारण का सामना करने को तैयार हैं। जमानत आवेदन के कंडिका 03 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत आवेदन का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आवेदक **बमबम कुमार यादव** की ओर से **दस हजार रूपये का बंध पत्र साथ में समान राशि के दो प्रतिभू** दाखिल करने पर तथा **आदेश प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर गिरफ्तार होने पर या आत्मसमर्पण करने पर** विद्वान विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों पर अग्रिम जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया जाता है तथा आवेदक धारा 482(2) बीएनएस की शर्तों का पालन करेंगेः–

1. **आवेदक का एक जमानतदार निकटवर्ती संबंधी होगा।**
2. **आवेदक इस बात का वचनपत्र देंगे कि वाद के विचारण में सहयोग करेंगे।**
3. **यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि आवेदक ने अपने आपराधिक इतिहास को छिपाया है या जमानत आवेदन पत्र में कोई भी तथ्य छिपाया गया है, तो विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का बंधपत्र खंडित किया जा सकता है।**

लेखापित

Sd/-

(प्रबाल दत्ता)

उत्तरवर्ती जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, मुंगेर

दिनांक 06.03.2026.

प्रतिलिपि : श्रीमान् शक्तिमान भारती, न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, व्यवहार न्यायालय, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आदेश की प्रति एवं मूल अभिलेख वापस भेजा जाता है।

(प्रबाल दत्ता)

उत्तरवर्ती जिला एवम् अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय, मुंगेर

दिनांक 06.03.2026